कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020

उठाए गए मुद्दों पर प्रस्ताव।

Scanned with CamScanner

भूमिका

- राष्ट्र के किसानों की अथक मेहनत से भारत खाद्यान्न सुरक्षा को प्राप्त कर सका है। हरित क्रांति में पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का योगदान उल्लेखनीय है।
- सरकार द्वारा लगातार यह सुनिश्चित किया गया है कि अच्छी गुणवत्ता के उन्नत बीज, प्रामाणिक खाद आदि समय पर एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो।
- खाद्यान्न सुरक्षा हेतु समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी भारत सरकार की प्राथमिकता है।
- जहां भारत पहले खाद्यान्न की कमी से जूझता था आज हम सरप्लस फसलों की बिक्री तथा किसान को उच्च मूल्य प्राप्ति हेतु प्रयासरत हैं।
- किसानों की आमदनी बढ़े, इस हेतु फसलों का विविधीकरण तथा नए बाजारों की उपलब्धता आवश्यक है।
- अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर फसलों का उत्पादन पूरे विश्व के निर्यात बाजार खोल सकता है जिससे हमारे किसानों को और अधिक आमदनी हो सकती है।

Scanned with CamScanner

भूमिका

- किसानों को उनकी मर्जी के मुताबिक फसलों के विक्रय हेतु वर्तमान मंडियों की व्यवस्था लागू रखते हुए नए विकल्प मिल सकें जिससे फसलों का ज्यादा दाम मिल सके एवं उच्च मूल्य की नई किस्म की फसलों को उगाने हेतु बाजार उपलब्ध हो सकें, इस लक्ष्य से नए कृषि सुधार अधिनियम पारित किए गए हैं। जैसे अन्य उत्पादकों को अपने उत्पाद को बेचने का अधिकार है वैसा ही अधिकार किसानों को भी प्राप्त हो सके।

- कृषि सुधारों की अवधारणा का एक पहलू नए कानूनों के माध्यम से किसानों की उपज का अधिक मूल्य प्राप्त हो सके, इस हेतु एक नई कृषि विपणन व्यवस्था लाना तथा दूसरा पहलू इन सुधारों को लागू करने हेतु पर्याप्त अवसंरचना का निर्माण तथा किसानों में संगठन की शक्ति विकसित करना है।

- अवसंरचना निर्माण हेतु एक लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गई है जिसके अंतर्गत फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना (पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर) जैसे कि भंडारगृह, कोल्ड स्टोर, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग इकाई, ग्रामीण विपणन प्लेटफार्म, ई-मार्केटिंग इकाई इत्यादि हेतु संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

- किसानों के संगठन बनें जिससे वे स्वयं अपनी फसलों की विपणन व्यवस्था बना सकें, इस हेतु 10 हजार नए एफपीओ गठन की योजना शत-प्रतिशत केंद्र शासन द्वारा पोषित, प्रारम्भ की गयी हैं। इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ का गठन किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

पृष्ठभूमि

- कृषि मंत्रालय ने 19 दिसम्बर, 2000 को श्री शंकरलाल गुरु की अध्यक्षता में कृषि विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसने अपनी सिफारिशें 2001 में दीं। इस समिति की सिफारिशें निम्नानुसार हैं-
- उपरोक्त समिति द्वारा यह सिफारिश की गई कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त किया जाए, मुक्त बाजार की अवधारणा पर कार्य हो, पचास मेगा मार्केट्स की स्थापना जो राष्ट्रीय एक्सचेंज सेंटर्स के रूप में कार्य करें, प्रत्यक्ष विपणन, विपणन विस्तार एवं सूचना सेवा में निजी क्षेत्र की भागीदारी, स्पाट एवं फारवर्ड मार्केटिंग में लिंकेज। केंद्र शासन द्वारा वर्ष 2003 में माडल एपीएमसी अधिनियम राज्यों को प्रेषित किया गया।
- वर्ष 2007 में माडल नियमावली भी राज्यों को भेजी गयी।
- मई, 2010 में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तत्कालीन मुख्यमंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में कृषि उत्पादन पर कार्यसमूह का गठन किया गया जिसमें पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा बिहार के मुख्यमंत्री सम्मिलित थे।
- उपरोक्त कार्य समूह द्वारा अनुशंसा है कि कृषि उपज के विपणन पर बंधन हटाए जाएं, कृषि उपज के बाजार पर कोई भी एकाधिकार न एपीएमसी मंडियों का हो और न ही लाइसेंसधारी कार्पोरेट मंडियों का हो, कृषि विपणन व्यवस्था में स्पाट इलेक्ट्रानिक मार्केट का विकास, कार्य प्रणाली के आटोमेशन हेतु विपणन अवसंरचना में निजी क्षेत्र का निवेश, निजी उद्यमियों के माध्यम से टर्मिनल मार्केट काम्पलेक्स की स्थापना।

Scanned with CamScanner

पृष्ठभूमि

- कृषि विपणन सुधारों को राज्यों को लागू करने के संदर्भ में और कृषि विपणन सुधारों पर आगामी विचार करने के लिए श्री हर्षवर्धन पाटिल, कृषि मंत्री, महाराष्ट्र सरकार की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया जिसमें 10 राज्यों के मंत्री भी शामिल थे। इस समिति ने अपनी सिफारिशें 2013 में दीं।
- उपरोक्त समिति की सिफारिशों में एपीएमसी अधिनियम में सुधार, कंट्रैक्ट फार्मिंग व्यवस्था में सरलीकरण, फसलोपरांत अवसंरचना का विकास, बंधनरहित राष्ट्रीय बाजार का उल्लेख है।
- राज्यों के मॉडल अधिनियम की मांग पर कृषि मंत्रालय ने डा. अशोक दलवई, अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसमें ओडिशा, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।
- इस समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त अप्रैल 2017 में मॉडल एपीएलएम अधिनियम की सिफारिश की। मई, 2018 में इस माडल अधिनियम को राज्यों को परिचालित किया गया।
- कोविड लॉकडाउन के दौरान किसानों की उपज के विपणन की कठिनाई को देखते हुए 4 अप्रैल, 2020 को डायरेक्ट मार्केटिंग की अनुमति देने हेतु केंद्र द्वारा राज्यों को लिखा गया।
- अब तक 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि उपज की मंडी के बाहर डायरेक्ट मार्केटिंग को अनुमति दे दी गई है।
- 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्यानकी फसलों जैसे कि फल, फूल और सब्जियों को राज्यों के एपीएमसी एक्ट से छूट प्राप्त है।

Scanned with CamScanner

कृषि अधिनियमों के उद्देश्य

- किसानों के ऊपर लगी सभी पाबंदियों को हटाना तथा उन्हें अपनी उपज को बेचने के लिए पुराने विकल्प को चालू रखते हुए नये विकल्प उपलब्ध कराना जिससे किसानों को उपज का अधिक दाम मिल सके।
- नये विकल्प चुनने की आजादी परन्तु कोई बंदिश नहीं। किसान चाहे तो पूर्ववत नजदीक की मंडी में अथवा सरकारी खरीदी केंद्रों में भी एमएसपी मूल्य पर अपनी फसल बेचे सकता है।
- नये अधिनियमों में प्रत्येक प्रावधान किसान का हित संरक्षित करते हैं तथा व्यापारी की अपेक्षा किसान का पलड़ा भारी रखते हैं।
- किसान को फसल कटाई के बाद नये विकल्प का प्रयोग कर अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके अथवा कटाई से पहले ही एग्रीमेंट के आधार पर निर्धारित मूल्य मिल सके ऐसे प्रावधान किये गये हैं।
- अब किसान को अपनी फसल किसी को कहीं भी और किसी भी समय बेचने की आजादी और भुगतान भी निश्चित समय में प्राप्त करने का अधिकार है। उसके पास पुराने विकल्प भी उपलब्ध हैं।
- किसान को फसल के मूल्यों के अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव से मुक्ति मिले तथा उसकी आमदनी निश्चित तौर पर अधिक हो।
- किसान की भूमि सुरक्षित रहे तथा उसकी मिल्कियत पर किसी प्रकार की आंच न आए।

Scanned with CamScanner

- ई-मार्केटिंग तथा नई तकनीक का लाभ किसान की उपज को देश व्यापी बाजार उपलब्ध कराने में मिल सके।
- कृषि उपज के व्यापार में अंतर्राज्यीय बंदिशें समाप्त हो सकें।
- किसान को संरक्षण मिले तथा वह इतना सशक्त हो सके कि बराबरी के आधार पर व्यापारी से अपनी फसल का सौदा कर सके।
- किसान को नई किस्म की फसलों को उगाने के लिए नई किस्म के बीज तथा सही कृषि तकनीक उपलब्ध हो सकेगी।
- कृषि उपज का बाजार बंधन मुक्त हो, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति हो तथा आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़े।
- देश में नये बाजार किसान को उपलब्ध हो सकें तथा निर्यात योग्य फसलों का उत्पादन हो सके।
- किसानों को बुवाई के समय ही बाजार की आवश्यकता पता हो तथा उसी अनुसार वे निर्णय ले सकें।
- फसलों की सही कीमत की जानकारी किसानों को समय पर मिले ताकि वह बेचने का सही विकल्प चुनने में समर्थ हों।
- कृषि उपज के बाजार का विस्तार होने से भण्डारण, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य कृषि आधारित अवसंरचना में निवेश आए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हों।

Scanned with CamScanner

मुद्दा – कृषि सुधार कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में।

- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत सूची 3 (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत भारत की संसद द्वारा पारित किए गए हैं।
- उपरोक्त प्रविष्टि 33 में खाद्य पदार्थों के व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन तथा वितरण के संबंध में संसद अधिनियम पारित कर सकती है। राज्य सूची की प्रविष्टि 26 के अंतर्गत राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य के संबंध में राज्य विधान सभा को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिनियम पारित करने की शक्ति है। अतः यह स्पष्ट है कि दोनों अधिनियम संवैधानिक हैं।
- यह अधिनियम तथा इनसे पूर्व अध्यादेश लाने के समय सरकार द्वारा समुचित विधिक परामर्श प्राप्त किया गया है।

Scanned with CamScanner

मुद्दा – कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करना।

प्रस्ताव

- कानून के वे प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है, उन पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है।

Scanned with CamScanner

मुद्दा - आशंका है कि मंडी समितियों द्वारा स्थापित मंडियां कमजोर होंगी और किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएगा।

- नए प्रावधान पुराने विकल्प को चालू रखते हुए फसल बेचने के अधिक विकल्प उपलब्ध कराते हैं। किसान अब मंडी के बाहर नए विकल्पों जैसे किसी भंडारगृह से, कोल्ड स्टोरेज से, फैक्ट्री प्रांगण में अथवा अपने खेत से भी फसल बेच सकेगा।
- किसान की फसल को खरीदने में अधिक प्रतिस्पर्धा होगी क्योंकि नये व्यापारी भी सीधे फसल के खरीददार हो सकेंगे जिससे किसान को अधिक मूल्य प्राप्त हो सकेगा।
- अंतर्राज्य एवं राज्य के भीतर व्यापार के सभी बंधन हट जाएंगे।
- **किसान को नये विकल्पों के अतिरिक्त पूर्व की तरह मंडी में बेचने तथा समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीदी केंद्र पर बेचने का विकल्प यथावत रहेगा।**

प्रस्ताव –

- अधिनियम को संशोधित करके यह प्रावधानित किया जा सकता है कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सके। साथ ही ऐसी मंडियों से राज्य सरकार एपीएमसी मंडियों में लागू सेस/शुल्क की दर तक सेस/शुल्क निर्धारित कर सकेगी।

Scanned with CamScanner

<u>मुद्दा</u> - व्यापारी के पंजीकरण की व्यवस्था न करके मात्र पैन कार्ड के आधार पर किसान से फसल खरीद की व्यवस्था है जिससे धोखा होने की आशंका है।

- नए अधिनियमों में किसान को विपणन के अधिक विकल्प प्रदान करने की दृष्टि से पैन कार्ड के आधार पर व्यापारी को कृषि व्यापार करने की व्यवस्था है।
- कानून में केंद्र सरकार को व्यापारियों के पंजीकरण, व्यापार के तरीके तथा भुगतान की व्यवस्था के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है।
- पैन कार्ड के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों को आधार बनाकर पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने का प्रावधान पूर्व से है।

प्रस्ताव –

- उठाई गयी शंका के समाधान हेतु राज्य सरकारों को इस प्रकार के पंजीकरण के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जा सकती है जिससे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकारें किसानों के हित में नियम बना सकें।

Scanned with CamScanner

<u>मुद्दा</u> - किसान को विवाद समाधान हेतु सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प नहीं है जिससे न्याय न मिलने की आशंका है।

- किसानों को त्वरित, सुलभ एवं कम व्यय पर न्याय मिल सके तथा विवाद का समाधान स्थानीय स्तर पर 30 दिन के भीतर हो सके, ऐसा प्रावधान किया गया है।
- दोनों अधिनियमों में प्रथम व्यवस्था सुलह बोर्ड के माध्यम से आपसी समझौते के आधार पर विवाद निराकरण की है।

प्रस्ताव –

- शंका के समाधान हेतु विवाद निराकरण की नए कानूनों में प्रावधानित व्यवस्था के अतिरिक्त सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प भी दिया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

<u>मुद्दा</u> - कृषि अनुबंधों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है।

- कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 के अंतर्गत पूर्व से ही राज्य सरकार द्वारा करारों के पंजीकरण की व्यवस्था बनाने का प्रावधान है।
- पंजीकरण प्राधिकरण की स्थापना का अधिकार भी राज्य सरकार को है।

प्रस्ताव –

- जब तक राज्य सरकारें रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था नहीं बनाती हैं तब तक सभी लिखित करारों की एक प्रतिलिपि करार पर हस्ताक्षर होने के 30 दिन के भीतर संबंधित एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

Scanned with CamScanner

मुद्दा - किसान की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। किसान भूमि से वंचित हो जाएगा।

- कृषि करार अधिनियम के अंतर्गत कृषि भूमि की बिक्री, लीज तथा मार्टगेज पर किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है।
- यह प्रावधान है कि किसान की भूमि पर किसी प्रकार की संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता, और यदि निर्माण किया जाता है तो उसे करार की अवधि समाप्त होने पर फसल खरीददार हटायेगा।
- यदि संरचना हटाई नहीं जाती तो उसकी मिल्कियत किसान की होगी।

प्रस्ताव –

- प्रावधान पूर्व से ही स्पष्ट है फिर भी यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि किसान की भूमि पर बनाई जाने वाली संरचना पर खरीददार (स्पांसर) द्वारा किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया जा सकेगा और न ही ऐसी संरचना उसके द्वारा बंधक रखी जा सकेगी।

Scanned with CamScanner

मुद्दा - किसान की भूमि की कुर्की हो सकेगी।

- कृषि करार अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसान की भूमि के विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली हेतु कुर्की नहीं की जा सकती है।
- इस अधिनियम में किसान के ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लग सकती जबकि खरीददार व्यापारी के विरुद्ध बकाया राशि के 150 प्रतिशत का जुर्माना लग सकता है।
- जहां व्यापारी करार के अंतर्गत फसल को पूरे मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य है वहीं किसान पर कोई बंधन नहीं है।

प्रस्ताव –

- प्रावधान स्पष्ट है, फिर भी किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो उसे जारी किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

<u>मुद्दा</u> - किसान को अपनी उपज समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसी के माध्यम से बेचने का विकल्प समाप्त हो जाएगा और समस्त कृषि उपज का व्यापार निजी हाथों में चला जाएगा।

- नये अधिनियमों में समर्थन मूल्य की व्यवस्था तथा सरकारी खरीदी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है।
- समर्थन मूल्य के केंद्रों की स्थापना का अधिकार राज्य सरकारों को है तथा वह इन केंद्रों को मंडियों में स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा लगातार समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था मजबूत की गयी है जिसका उदाहरण इस वर्ष की रबी और खरीफ की बम्पर खरीदी है।

प्रस्ताव –

- केंद्र सरकार एमएसपी की वर्तमान खरीदी व्यवस्था के संबंध में लिखित आश्वासन देगी।

Scanned with CamScanner

मुद्दा - बिजली संशोधन विधेयक, 2020 को समाप्त किया जाए।

- बिजली संशोधन विधेयक अभी चर्चा हेतु रखा गया है।
- डीबीटी के संबंध में प्रस्तावित है कि राज्य सरकार अग्रिम तौर पर सब्सिडी का भुगतान सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा कराएगी।

प्रस्ताव –

- किसानों की विद्युत बिल भुगतान की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

<u>मुद्दा</u> - एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आफ एनसीआर आर्डिनेंस, 2020 को समाप्त किया जाए।

- **वर्तमान प्रावधान के अंतर्गत पराली के जलाने पर जुर्माना तथा आपराधिक कार्रवाई हो सकती है।**

प्रस्ताव –

- पराली को जलाने से संबंधित प्रावधान एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आफ एनसीआर आर्डिनेंस, 2020 के अंतर्गत किसानों की आपत्तियों का समुचित समाधान किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

देश के किसानों के सम्मान में और पूरे खुले मन से केंद्र सरकार द्वारा पूरी संवेदना के साथ सभी मुद्दों के समाधान का प्रयास किया गया है। अतः सभी किसान यूनियनों से अनुरोध है कि वे अपना आंदोलन समाप्त करें।

Scanned with CamScanner

धन्यवाद

Scanned with CamScanner